उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग-2
संख्या-85/2024/438/41-2-2024- CN-**1792152**
लखनऊ दिनांक 06 मार्च, 2024
संख्या-61/2024/280/41-2-2024-CN-**1792152**, **दिनांक 23.02.2024**

का शुद्धि पत्र

महानिदेशक, पर्यटन के पत्र संख्या-9333/6-1-1(489)/2023-24, दिनांक 28 फरवरी, 2024 द्वारा संसूचित वस्तुस्थिति के अनुसार जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में फव्वारा चौक का सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-61/2024/280/41-2-2024- CN-1792152, दिनांक 23.02.2024 के प्रस्तर-3 में त्रुटिवस लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-41-जनपद हापुड़ स्थित गढ़मुक्तेश्वर में प्रमुख पर्यटन स्थलों का समेकित पर्यटन विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाजा जायेगा के स्थान पर **लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-41-जनपद हापुड़ स्थित गढ़मुक्तेश्वर में प्रमुख पर्यटन स्थलों का समेकित पर्यटन विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाजा जायेगा** अंकित किया जाता है।

2- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 23.02.2024 को संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, हापुड़।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0 (उ0प्र0 जल निगम), लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- उप निदेशक पर्यटन, मेरठ/सहारनपुर मण्डल, मेरठ।
8- उप निदेशक (राज्य योजना), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।